राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

दिनांक 22.05.2013 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में राज्य के समस्त जिलों के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया गया।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की शुरूआत करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अल्प अवधि के नोटिस पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के आयोजन के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि :–

- केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राशि रू. 438 करोड जारी की गई है। जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि योजनान्तर्गत समस्त गतिविधियां एमआईएस पर 100 प्रतिशत दर्ज की जावे एवं राशि का आवंटन एमआईएस के आधार पर ही किया जायेगा। केन्द्र सरकार की शर्तों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी राशि का आवंटन एमआईएस के आधार पर ही किया जायेगा। वर्तमान में कार्य की मांग में वृद्वि होने के कारण स्वभाविक है कि जिलों द्वारा राशि की मांग की जायेगी परन्तु राज्य सरकार द्वारा राशि का आवंटन एमआईएस के आधार पर ही किया जा सकेगा।

- वर्ष 2012–13 की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार रू. 200 करोड से अधिक की राशि के भुगतान की दिनांक का इन्द्राज एमआईएस पर नही किया गया है। एमआईएस पर पाइप लाईन में प्रदर्शित इस व्यय का तुरन्त भुगतान किया जाये एवं इसे तुरन्त शून्य किया जावे। यह कार्यवाही 31.05.2013 तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जावे।

- योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में सामग्री मद में व्यय लगभग 30 प्रतिशत से कम रहा है, जबकि योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत तक का व्यय सामग्री मद में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के स्तर पर परिसम्पति निर्माण निधि का गठन भी किया गया है, जिसका उपयोग सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय होने की स्थिति में किया जा सकता है। अतः योजनान्तर्गत सामग्री प्रधान कार्यों अर्थात स्थायी प्रकृति के कार्यो की स्वीकृतियां जारी की जावे, परन्तु इस बात का ध्यान रखा जावे कि पूर्व में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराये जावे।

- राज्य सरकार द्वारा जारी समय सारणी के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र के समायोजन एवं सी.ए.ऑडिट की व्यवस्था की जावे।

- निर्मल भारत अभियान के साथ कर्न्वेजेन्स द्वारा शौचालय निर्माण हेतु मस्टररोल जारी नही की जा रही है, इसके तहत कार्यवाही की जाकर शौचालय निर्माण के कार्यो को बढावा दिया जावे। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अधिकतर विद्यालयों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। 3000 से भी कम विद्यालयों में शौचालय निर्माण का कार्य शेष है, जो कि निर्माणाधीन है। जून माह के अन्त तक इन्हें पूरा कराये जाने का प्रयास किया जावे। साथ ही आंगनबाडी केन्द्रों में भी शौचालय निर्माण पूर्ण कराये जाने का कार्यक्रम बनाया जाकर कार्य शुरू किया जावे।

आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस, ग्रामीण विकास द्वारा जिलो को बताया गया कि :–

- माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य के चार जिलो जैसलमेर, गंगानगर, उदयपुर एवं पाली जिला द्वारा इन्दिरा आवास योजना के तहत भेजे गये प्रस्तावों को जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सही रूप से नही भेजा गया है। अतः इन जिलो से परियोजना अधिकारी (लेखा) अथवा अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में संबन्धित अधिकारियों से परामर्श हेतु तत्काल भेजा जावे।

- मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के तहत मात्र 3500 प्रकरणों में द्वितीय किस्त तथा लगभग 10000 प्रकरणों में तृतीय किस्त का आवंटन किया गया है। इस प्रगति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किया जाना संभव नही लगता है। सघन मॉनीटरिंग द्वारा प्रगति बढायी जावे। जिन जिलो द्वारा अभी तक हुडको के साथ एमओयू हस्ताक्षर नही किये गये है, वे जिले 30 जून तक कार्यवाही पूर्ण करे।

- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गत वर्ष औसत मजदूरी दर लगभग 100 रू. है। इसका मुख्य कारण मॉनीटरिंग की कमी तथा समूहवार श्रमिकों का नियोजन नही होना है।

- योजनान्तर्गत पर्याप्त मात्रा में कार्मिक नियोजित है एवं इनकी क्षमता मुख्य रूप से ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत लेखा कार्मिक (जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों का कार्य देखा जाता है) एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का पूर्ण उपयोग किया जावे ताकि एमआईएस पर इन्द्राज समय पर किया जा सके। लेखा कार्मिकों को आवंटित ग्राम पंचायतों का समयबद्व कार्यक्रम बनाया जाकर ग्राम पंचायत की कैश बुक एवं एमआईएस पर इन्द्राज बिलों का मिलान लेखा कार्मिकों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

- विभाग द्वारा दिनांक 18.12.2012 एवं 08.05.2013 को "महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के द्वारा श्रमिकों की मांग दर्ज किये जाने" के संबन्ध में जारी सूचना का प्रकाशन समस्त राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं प्रत्येक राजस्व गांव में लिखवाये जाने की कार्यवाही 31.05.2013 तक पूर्ण की जावे। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉल सेन्टर के नम्बर 1800 1806 606 का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जावे।

इसके उपरान्त एमआईएस पर प्रदर्शित पाइप लाईन व्यय, जिलो द्वारा प्रेषित प्रोविजनल उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वास्तविक व्यय में अन्तर तथा अन्य बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने/निर्णय लिये गये :–

- यद्यपि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलो को अग्रिम रूप से ही यह अवगत करा दिया गया था कि वर्ष 2012–13 की एमआईएस एन्ट्री शीघ्र ही बन्द हो सकती है तथा वर्ष 2012–13 के समस्त बिल/वाउचर्स (चाहे भुगतान नही किया गया हो) की एन्ट्री एमआईएस पर मई माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर ली जावे। अब जिन जिलो में उक्त एन्ट्री शेष है, उसका पूर्ण विवरण 31.05.2013 तक राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

- राज्य सरकार द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है उसका उपयोग ना केवल श्रमिक भुगतान हेतु बल्कि सामग्री के भुगतान हेतु भी समय पर किया जाना वांछनीय है। राज्य सरकार द्वारा इस संबन्ध में कभी रोक नही लगाई गई है कि सामग्री मद का भुगतान नही किया जावे।

- योजनान्तर्गत समस्त प्रकार के बिल/वाउचर्स का इन्द्राज एमआईएस पर समय पर किया जावे एवं किसी भी प्रकार के बिलों की एन्ट्री एमआईएस पर नही रोकी जावे चाहे उनका भुगतान किया गया हो अथवा नही।
- लेखा कार्मिकों से लेखा मैन्यूअल में वर्णित जॉबचार्ट के अनुरूप कार्य कराया जावे। ग्राम पंचायतों की कैश बुक का मिलान एमआईएस से एवं पंचायत समिति से जारी राशि एवं शेष आदि का उचित अंकेक्षण किया जावे।
- एमआईएस पर प्रदर्शित पाइप लाईन व्यय एवं उपरोक्त निर्देशों की पालना की समीक्षा जून माह के प्रथम सप्ताह में की जायेगी।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त हुई।

कमांक एफ5(15)ग्रावि/नरेगा/प्रगति/2011–12 दिनांक - 3 JUN 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
3. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम/द्वितीय, ईजीएस।
4. परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस।
5. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

3/6

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस